>

Title: Need to take stringent action against illegal mining in the country.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): प्रायः समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से अवैध खनन की खबरें प्राप्त होती रही हैं। राज्य सरकारें इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही हैं। यदि कोई अधिकारी इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने लगता है तो सरकार खनन माफियाओं के दबाव में किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर उस अधिकारी को प्रताड़ित करने लगती है, जिसके अंतर्गत अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है या उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है।

समस्त प्रकार के खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संपत्ति है, केन्द्र सरकार को भी इसके अनाधिकृत दोहन को रोकने तथा राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करना चाहिए। नदियों से बालू निकालने का भी वैधानिक तरीका निकालने की आवश्यकता है जिसमें सीपेज व ग्राउन्ड वाटर लेवल चार्जिज पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अभी हाल ही में Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को विशेष कानून प्रदान किया गया है जिससे वे अवैध खनन पर रोक लगाने का काम कर सकें। राज्य सरकारों को अवैध खनन रोकने हेतु अवैध खनन के निकले खनिज पदार्थ, यंत्र-संयंत्र, मशीनरी, वाहन एवं गोदाम आदि पर नियंत्रण करने का अधिकार होगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि अवैध खनन को जड़ से खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मुहिम चलाने व हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ उन अधिकारियों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो पूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में The Whistle Blowers Protection Bill, 2011 अभी लंबित है जिसे जल्द से जल्द पास किए जाने की भी आवश्यकता है।